


अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख संख्या- 74/2020-21(1)

दिनांक	आदेश कलक	प्रतिबद्धि
03/09/2020	<p>राज का इस्तेमाल-विहार (आगरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1956 की धारा 4(1) के तहत जीव एवं कार्यालय से संबंधित।</p> <p>आगरखण्ड सरकार से आदेश-2074/सख, दिनांक-13.08.20-क मध्यस्थित- की अनुसूचित मुखर्जी, मिट्टी, भू-अर्जन-राज-विशेष अधिकार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग का एक संख्या-3-खण्ड(मिति)-149/85/2008/सख, दिनांक-03.08.1985 एवं राज-पट्टित संख्या विभाग, परिषद संख्या-914/सख, दिनांक-09.12.1988 में विहित निर्देश के अनुसूचित में नैरमजकला द्वारा भूमि की कालम की गयी जमाबंदियों की जीव प्रमाण की गयी। जीव के काम में हल्का राज्य कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है कि निम्नलिखित विवरणों की भूमि -</p> <p>मीजा- <u>आधोखार</u> खाना नं- <u>47</u> खाना संख्या- <u>69</u> जीव संख्या- <u>51.235</u> रकब- <u>85.518</u> एकड़ की भूमि को नैरमजकला खाना अनाबाद विहार (आगरखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मीजा के धंजी-11 के तहत संख्या- <u>1</u> के एक संख्या- <u>162</u> पर जमाबंदी रकम <u>पंद्रह महीने</u> के एक से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा जीवोपयोग उपर्युक्त विवरणों की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संधि प्रतिबंधित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा समर्थित जीव प्रतिबंध से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी दिना संख्या प्राधिकार के आदेश के/अथवा बंदोबस्ती के आधार पर/अथवा कोटकर बंदोबस्ती के आधार पर/अथवा लगान निर्धारण के आधार पर/सारा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उपरोक्त निजी खान एवं राज्य को हानि कारित कायम है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणों की, जमीन की सुविधा जमाबंदी अथवा प्रतीत होती है जिसकी विहार (आगरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1956 की धारा 4(1) के तहत जीव किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रकम को नैरमजकला एवं उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्वात लगान एकीकृत की जाय करे तथा उनको कायम-पुनः करे कि नहीं गयी तबत जमाबंदी को अथवा भंगने हुए इस विहार (आगरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1956 की धारा 4(1) के तहत सहाय प्राधिकार को प्र करने हेतु अनुमति प्राप्त किया जाय।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख दिनांक- <u>13/09/2020</u> को उपस्थित करे।</p>	<p></p> <p>अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>

~~20.09.2020~~

19.09.2020

लम्बिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(1) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

19/9/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

संविध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संविध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम **जमाबंदी**
रैयत —
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण -

शौजा	धाना नं०	खाला सं०	प्लॉट सं०	रकबा
रैयतवाला	५३	६९	५१, २३५	२५ अ०
3. जमाबंदी पंजी-11 के जिल्द संख्या 1 पृष्ठ सं०- 162 पर कायम है-
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है- **1962-63**
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खालेदार का नाम - **जैरुआकाद रकवा**
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है - **जैरुआकाद**
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम -
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबन्दोबस्ती) - **जैरुआकाद**
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राज्य स्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) **पंजी 11 से**
जैरुआकाद
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्रम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
-------------	------------------	------------------	------------

उ०अ० / अ० नि० / जे०के०-६५०

महाराज, उपरोक्त भूमि (संघारित पंजी) के अनुसार जैरुआकाद रकवा की छवि है। संघारित पंजी में जमाबंदी सं० 162 दर्ज है। प्राधिकार कोलम में जैरुआकाद के सं० ५३ (11) 1962-63 अंकित है। उक्त जमाबंदी संदेहास्पद प्रकृत है।
ज्ञातः जमाबंदी रद्द / निरधारण हेतु, अग्रज कार्रवाई

की जाँच की है।
महाराज महाराज महाराज